



सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in**Case No. CCPD/14684/1022/2023**

शिकायतकर्ता:

श्री ज़ियाउद्दीन

प्रतिवादी:

आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन

1. शिकायत का सारांश

1.1 श्री ज़ियाउद्दीन, जो 100% दृष्टिबाधित हैं, ने 29.11.2023 को अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने गृह नगर में स्थानांतरण की मांग की। उन्होंने कहा कि वह केवी एएफएस जोरहाट में इतिहास के प्रवक्ता के रूप में 18 अक्टूबर 2023 से कार्यरत हैं। उन्होंने 2 जनवरी 2023 को एलडीसीई 2022 में भाग लिया और केवी एएफएस जोरहाट (दूरस्थ स्टेशन) में पदस्थापित हुए। उनके वर्तमान स्टेशन और गृह नगर, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के बीच की दूरी 1750 किमी है, जो उनके लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है।

1.2 शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग में बदलाव के लिए दो अनुरोध प्रस्तुत किए, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ने उनके गृह नगर के पास रिक्तियों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने केवी कैंट कानपुर

द्वितीय शिफ्ट, केवी1 कैंट नई दिल्ली या केवी डीएलडब्ल्यू वाराणसी में पुनः नियुक्ति की वरीयता व्यक्त की।

2. नोटिस जारी

2.1 इस मामले को केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के साथ 12-12-2023 को एक नोटिस के माध्यम से उठाया गया, जिसमें प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और सरकारी निर्देशों का संदर्भ दिया गया, जिनमें अधिनियम की धारा 20 (5) और डीओपीटी ओएम नंबर 36035/3/2013-एस्टेट (रेस) दिनांक 31/03/2014 शामिल हैं।

3 . दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण/पोस्टिंग पर कानूनी ढांचे के बारे में अदालत का संचार

3.1 चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं हुआ, इसलिए दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण/पोस्टिंग के मुद्दे पर कानूनी ढांचे को कवर करते हुए एक संचार 29.01.2024 को प्रतिवादी को भेजा गया और एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी गई।

4. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुतियाँ

4.1 सहायक आयुक्त (स्थापना II और III) ने 30-01-2024 को अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता को 04.10.2023 के ज्ञापन के माध्यम से केवी एएफएस जोरहाट (असम) में पदस्थापित किया गया था। एलडीसीई के माध्यम से प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के बाद शिकायतकर्ता के पोस्टिंग स्थान में बदलाव का अनुरोध सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। हालांकि, अनुरोध रिक्रियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं दिया जा सका और यह 06.11.2023 के कार्यालय आदेश के माध्यम से सूचित किया गया।

5. वर्तमान स्थिति जानने के लिए अदालत का संचार

5.1 चूंकि न तो पक्षों ने मामले में कोई प्रगति बताई, इसलिए दोनों पक्षों को

वर्तमान स्थिति जानने के लिए एक ईमेल भेजा गया। इसके परिणामस्वरूप 11.04.2025 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 22.04.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई। जवाब में, शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल दिनांक 16.04.2025 में पुष्टि की कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है, क्योंकि उन्हें केवी नंबर 1 एएफएस जोरहाट से केवी वाराणसी कैंट में उनकी वरीयता के अनुसार पोस्टिंग दी गई है। तदनुसार, उन्होंने मामले को बंद करने का अनुरोध किया और अपनी शिकायत वापस लेने का विकल्प चुना।

6. अवलोकन और सिफारिशें

6.1 मामले के तथ्यों, पक्षों की प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान हो गया है। इसलिए, आगे किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6 . 2 तदनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ मामला निपटा दिया गया है।

(प्रवीण प्रकाश अम्बष्ठ)

उप मुख्य आयुक्त



न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364

Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No. CCPD/14684/1022/2023

In the Matter of

Complainant:

Sh. Ziyauddin

Respondent:

The Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan

1. Gist of the Complaint:

1.1 Shri Ziyauddin, a person with 100% visual impairment, filed his complaint on 29.11.2023, requesting a transfer to his native place. He stated that he has been working as a Post Graduate Teacher (PGT) in History at KV AFS Jorhat since 18th October 2023. He appeared in the Limited Departmental Competitive Exam (LDCE) 2022 on 2nd January 2023 and was posted to KV AFS Jorhat (remote station). The distance between his current station and his hometown, Pratapgarh (U.P.), is 1750 km, making it extremely challenging to carry out his duties effectively at the assigned

location.

1.2 The Complainant further stated that he had submitted two requests for a change in his posting, both of which were denied by the competent authority, citing the lack of vacancies near his hometown. He preferred reassignment to either KV Cantt Kanpur II Shift, KV1 Cantt New Delhi, or KV DLW Varanasi.

2. Notice Issued:

2.1 The matter was taken up with the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, through a notice dated 12-12-2023 referencing relevant statutory provisions and government instructions, including but not limited to Section 20 (5) of the Act and DoPT OM No. 36035/3/2013-Estt. (Res) dated 31/03/2014.

3. Communication by the Court of the Legal Framework on Posting/Transfer of E.W.D:

3.1 Since the Complainant's grievance remained unresolved, a communication exhaustively covering the Legal Framework on the issue of Posting/transfer of employees with disabilities was sent to the Respondent vide the Court's letter dated 29.01.2024, and a report was sought within one month.

4. Submission made by Respondent:

4.1 The Assistant Commissioner (Estt.II & III) filed his reply on 30-01-2024, stating that the Complainant was posted to KV AFS Jorhat (Assam) vide memorandum dated 04.10.2023. The Complainant's request for a change of posting location, following promotion through LDCE to the post of PGT, was sympathetically considered by the competent authority. However, the request could not be granted due to the unavailability of vacancies, and this was communicated through an office order dated 06.11.2023.

5 Communication by the Court for seeking the current status:

5.1 Since neither of the parties communicated any progress in the case, an email was sent to both parties seeking the current status. Consequently, a Notice of Hearing was issued on 11.04.2025, scheduling the Hearing on 22.04.2025. In response, the Complainant, in his email dated 16.04.2025, confirmed that his grievance has been resolved, as he was allotted his preferred posting from Kendriya Vidyalaya No.1 AFS Jorhat to Kendriya Vidyalaya Varanasi cantt. Accordingly, he has requested closure of the case and has chosen to withdraw his complaint.

6. Observation and Recommendations:

6.1 Upon considering the facts, submissions of the parties, and available on the records of the Case, this Court concludes that the Complainant's grievance has been addressed. As such, no further intervention is deemed necessary.

6.2 Consequently, the case is disposed of with the approval of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

(Praveen Prakash Ambashta)
Dy. Chief Commissioner